Universe Journal of Education & Humanities ISSN 2348-3067

Volume-10, No.-1 Feb.-2023, pp. Hin.15-19

भारत में चुनाव सुधार और टी.एन. शेषन

डॉ0 दलीप सिंह
असि. प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय महाविद्यालय जखोली, रूद्रप्रयाग (उत्तराखंड) भारत

भारत संसदीय एवं संघीय व्यवस्था पर आधारित एक संवैधानिक लोकतन्त्र है जिसके ह्रदय में नियमित स्वतन्त्र एवं न्याय संगत निर्वाचन के प्रति गहरी निष्ठा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत में सभी निर्वाचनों का पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण एक स्वाधीन तथा निष्पक्ष संस्था में निहित है जिसे चुनाव आयोग का नाम दिया गया है। आयोग को अन्य शक्तियों के साथ यह शक्ति भी प्राप्त है कि वह निर्वाचनों के सम्बन्ध में उठने वाले विवादों तथा याचिकाओं का निर्णय करने के लिए निर्वाचन न्यायधिकरणों की स्थापना कर सकता है। संविधान में निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतन्त्र निकाय की स्थापना का उपबन्ध किया गया है और इसमें अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत यह व्यवस्था भी की गयी है कि चुनाव आयुक्त कार्यपालिका के नियंत्रण से स्वतन्त्र होगा अर्थात् उसको आसानी से नहीं हटाया जा सकता है। अतः देश में निर्वाचित सत्ता प्राप्त दल के नियंत्रण से पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हो जाता है। जब हम चुनाव आयोग की बढ़ती प्रभावशीलता की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि चुनाव आयोग ने एक के बाद एक अनेक महत्वपूर्ण और सशक्त कदम उठाए हैं और चुनावों को स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मुख्य शब्द– अनुच्छेद 324, नियम 16ए, अधिनियम 1951 की धारा 8, जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 126 (1)(ए) और (बी), जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 126

चुनाव आयोग को उसकी वास्तविक शक्ति का आभास कराने का श्रेय श्री टी एन शेषन को ही जाता है। उनकी कार्यशैली के कारण ही निर्वाचन आयोग अपनी शक्तियों का सही तरह से प्रयोग कर सका। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि श्री तिरुनैल्यै नारायण अय्यर शेषन ने ही चुनाव आयोग को उसकी शक्तियों के बारे में अवगत कराया और आयोग अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग कर सका।

श्री तिरुनैल्यै नारायण अय्यर शेषन के कार्यकाल के दौरान निर्वाचन आयोग ने कुछ विवादास्पद निर्णय भी लिये, जिनमें से कुछ के कारण आयोग को आलोचना का पात्र भी बनना पड़ा और कुछ निर्णयों ने सराहना भी बटोरी। उनके द्वारा कुछ निर्णय ऐसे लिये गये जिनको न्यायालय ने निरस्त भी किया। भले ही न्यायालय ने आयोग के कुछ फैसले निरस्त कर दिये थे किन्तु एक संवैधानिक संस्था के रूप में चुनाव आयोग की चुनाव सुधार की भूमिका समाप्त नहीं हुई। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ मौलिक कार्य किये तथा चुनाव सुधार की एक प्रक्रिया शुरू की, जो अभी तक जारी है।

निर्वाचन प्रणाली में सुधर की दिशा में आगे बढते हुए आयोग ने समय–समय पर अनेक आदेश दिये और आवश्यकतानुसार अनेक महत्वपूर्ण कदम भी उठाये जिससे स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव के आधर पर सच्चे लोकतंत्र को स्थापित किया जा सके। जो निम्नलिखित हैं–

- चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण कदम यह उठाया कि उसने चुनाव प्रचार में सरकारी वाहनों के प्रयोग कर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगा दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि कोई भी व्यक्ति (केन्द्र या राज्य के मंत्री) चुनाव प्रचार में या चुनाव से सम्बन्धित अपने क्षेत्रों में सरकारी वाहनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
- चुनाव आयोग ने अपना कदम चुनावी खर्चे को लेकर उठाया। जब चुनाव आयोग ने महसूस किया कि अब चुनाव काफी मँहगे हो गये हैं। लोग चुनाव में खुलकर पैसा खर्च करने लगे हैं और एक आम आदमी जो धनी नहीं है, आज के इस माहौल में चुनाव नहीं लड़ सकता है, तो आयोग ने इस धन की समस्या का समाधान खोजा और चुनाव में खर्च होने वाले धन को सीमित करने का प्रयास किया। इसके लिए उसने प्रत्येक उम्मीदवार से उसके चुनाव में खर्च होने वाले धन का हिसाब

रखने को कहा, जो बाद में चुनाव आयोग को सौंपना होगा।

- फर्जी मतदान को रोकने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने फोटो पहचान पत्र जारी करने का प्रयास किया जो एक चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कदम था इसे लागू करने से काफी हद तक जाली मतदान पर अंकुश लगाया जा सका।
- चुनाव चिह्न (आरक्षण व आबंटन) आदेश के नियम 16ए में संशोधन होते ही चुनाव आयोग को यह अधिकार भी प्राप्त हो गया कि वह किसी भी दल को आदर्श चुनाव आचार संहिता का दोषी पाये जाने पर मान्यता रद्द कर सकता है।
- चुनाव आयोग ने यह फैसला भी लिया कि जो राजनीतिक दल चुनावों का बहिष्कार करेंगे, उनकी मान्यता भी रद्द कर दी जायेगी। अपने इस फैसले पर अडिग रहते हुए आयोग ने नागालैण्ड पीपुल्स काउंसिल की मान्यता रद्द कर दी और उसका चुनाव चिह्न वापस ले लिया। चुनाव आयोग ने इस दल के विरुद्ध यह निर्णय इसलिए लिया था क्योंकि इस दल ने लोकसभा और विधानसभा के चुनावों का बहिष्कार किया था। इसी तरह की कार्यवाही चुनाव आयोग ने शिरोमणि आकाली दल के दो घटकों के साथ भी थी। इन्होंने भी 1992 में पंजाब में चुनावों का बहिष्कार कर दिया था।
- चुनाव के दौरान होने वाली हिंसा को रोकने हेतु भी आयोग ने भरसक प्रयास किये तथा इस हिंसा को रोकने का उपाय भी ढूँढ लिया। आयोग ने सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिये कि जैसे ही किसी भी चुनाव की अधिसूचना जारी हो, तुरन्त शस्त्रों के नये लाइसेंस देने बन्द कर दिये जाये और ये लाईसेंस तब तक बंद रखे जाये जब तक चुनाव समाप्त न हो जाये तथा इसके साथ ही साथ जिन लोगों के पास पहले से ही लाइसेंस के हथियार हो, चुनाव के पहले ही उन सब लोगों के हथियार जमा करा लिये जायें। ये हथियार उनके मालिकों को तब दिये जायें जब चुनाव समाप्त हो जाये।
- चुनाव आयोग ने मतदान को निष्पक्ष बनाने के लिए एक ओर महत्वपूर्ण कार्य किया और वह था चुनाव पर्यवेक्षकों को मतगणना रोकने व चुनाव परिणाम की घोषणा रोकने का कानूनी अधिकार देना।
- चुनाव आयोग ने राजनीति से अपराधीकरण को समाप्त करने के उद्देश्य से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के आधार पर यह आदेश दिया कि जिस व्यक्ति को न्यायालय से सजा हो गयी हो वह व्यक्ति कोई भी चुनाव नहीं लड़ पायेगा, भले ही उसने ऊपरी अदालत में अपील कर दी हो। चुनाव आयोग ने यह कदम अपराधियों को चुनावी प्रक्रिया से दूर रखने हेतु उठाया था। चुनाव आयोग के इस तरह के आदेश का असर यह हुआ कि 1998 में चुनाव हेतु 4075 उम्मीदवारों ने अपना नामाकंन पत्र भरा जिनमें से 400 ने अपना नामांकन वापिस ले लिया और 510 उम्मीदवारों के पर्चे खारिज हो गये।
- चुनाव की घोषणा होते ही बहुत से उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर देते थे जिसके कारण मतदाताओं को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी जब कि मुकाबला कुछ ही उम्मीदवारों के बीच होता था। अतः चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या कम करने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने सरकार से जमानत राशि को बढ़ाने की सिफारिश की जिसको केन्द्र सरकार ने मान लिया और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करके जमानत राशि को वर्ष 2010 में बढ़ा दिया। अब यह जमानत राशि लोकसभा चुनाव के लिए 25000 रूपये और विधानसभा चुनाव के लिए 10000 रूपये कर दी गयी। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के इसमें थोड़ी राहत देते हुए उनके लिए यह राशि आधी कर दी गई। इस संशोधन से पहले यह राशि लोकसभा चुनाव हेतु 10000 तथा विधानसभा हेतु 5000 रूपये थी। इसका परिणाम यह हुआ कि पिछले चुनावों की अपेक्षा अब उम्मीदवारों की संख्या बहुत ही कम हो गयी और मतदाताओं को अपना प्रतिनिधि चुनने में बहुत आसानी हुई।
- 1998 के चुनाव से पहले के चुनाव प्रचार के लिए चुनाव आयोग ने साढ़े चार लाख की राशि निर्धारित कर रखी थी परन्तु उम्मीदवारों का खर्च इससे ज्यादा आ जाता था जिस कारण उम्मीदवारों को झूठे हलफनामे दाखिल करने पड़ते थे। अतः चुनाव आयोग ने इस सीमा को और अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए सरकार से इसे भी बढ़ाने का अनुरोध किया जिसे सरकार ने मान लिया और पहले यह सीमा साढ़े चार लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी। उसके बाद 25 लाख और फरवरी 2011 में चुनावी व्यय की सीमा को 25 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया। यह सीमा लोकसभा चुनाव के लिए रखी गयी। विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव

की राशि अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग है।

▶ जनता को रात को चुनाव के दौरान कोई परेशानी न हो इस बात को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने सभी उम्मीदवारों तथा राजनीतिक दलों को निर्देश दिया कि रात के दस बजे के बाद कोई भी चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकरों का प्रयोग नही करेगा।

▶ चुनाव आयोग ने फर्जी मतदान को रोकने के उद्देश्य से 1998 में दिल्ली की विधानसभा क्षेत्रों में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का प्रयोग किया। चुनाव आयोग ने फर्जी मतदान को रोकने का यह एक कारगर तरीका निकाला। इसे चुनाव आयोग का एक क्रान्तिकारी कदम माना गया। इसका सबसे बड़ा फायदा यह भी हुआ कि इससे चुनाव के परिणाम जल्दी मिलने प्रारम्भ हो गये।

इस प्रकार चुनाव आयोग की प्रभावशीलता का अंदाजा सहज रूप से इसी बात से लगाया जा सकता है कि आयोग ने निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए जो आदर्श चुनाव आचार संहिता बनायी उसको सभी राजनीतिक दलों ने बड़ी गम्भीरता से लिया। यदि किसी दल के नेता या उम्मीदवार ने इसका उल्लंघन किया तो आयोग ने उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही भी की। इसके अन्य कुछ और ताजे उदाहरण भी देखने को मिले जो निम्नलिखित हैं–

▶ 15वीं लोकसभा के चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश की पीलीभीत सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वरुण गाँधी ने अपनी चुनावी सभा में साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाडने वाला भाषण दिया। चुनाव आयोग ने इस भड़काऊ भाषण को आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना और वरुण गाँधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी तथा साथ–साथ भारतीय जनता पार्टी को यह सलाह भी दी कि वह वरुण गाँधी को पीलीभीत सीट से अपना उम्मीदवार न बनाये।

▶ इसी 15वीं लोक सभा के चुनाव प्रचार के दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर भी चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का दोष लगा क्योंकि उन्होंने अपने मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से वरुण गाँधी के भाषण पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि वे वरुण गाँधी के ऊपर रोड .रोलर चलवा देंगे। उनकी इस प्रतिक्रिया को चुनाव आयोग ने उचित न मानते हुए लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिये।

▶ चुनाव आयोग की प्रभावशीलता 16वीं लोकसभा के चुनाव में भी देखने को मिली। जब आयोग ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी को भी फटकार लगायी क्योंकि उन्होंने भी गाँधीनगर में मतदान वाले दिन आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया था। इससे नाराज होकर तथा जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 126 (1)(ए) और (बी) का उल्लंघन करने पर श्री मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को गुजरात पुलिस को आदेश दिये और मोदी की उम्मीदवारी को रद्द करने पर भी विचार करने को कहा। श्री मोदी ने गाँधीनगर के मतदान केन्द्र पर वोट डालकर मीडिया के सामने कमल का फूल दिखाकर वोट माँगे थे। यह आचार संहिता का उल्लंघन था।

▶ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को भी दोषी पाया गया। श्री शाह ने एक चुनावी सभा को सम्बोधित करते हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में आते हैं। इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए आयोग ने श्री शाह के चुनाव प्रचार करने पर पाबन्दी लगा दी। श्री शाह ने अपनी गलती मानते हुए और आगे ऐसे शब्दों के प्रयोग न करने का वादा किया तो चुनाव आयोग ने अपनी पाबन्दी वापस ले ली और श्री शाह को चुनाव प्रचार की अनुमति मिली।

▶ इसी क्रम में एक और नेता पर चुनाव आयोग ने अपनी नजरें टेढी की और वे थे सहारनपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान मसूद। श्री मसूद ने नवम्बर 2013 में एक सभा में नरेन्द्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। जिसकी शिकायत होने पर इमरान मसूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी।

इस प्रकार ये कुछ ऐसे उदाहरण है जो चुनाव आयोग की बढ़ती लोकप्रियता एवं प्रभावशीलता को दर्शाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि चुनाव आयोग केवल नेताओं और राजनीतिक दलों को ही दिशा–निर्देश जारी करता है बल्कि वह निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव को लेकर प्रत्येक उस क्षेत्र के लोगों को निर्देश देता है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव से जुड़े होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने प्रसारण के लिए भी एक नई आचार संहिता का निर्माण

किया है जिसके अन्तर्गत आयोग ने चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों अर्थात् एक्जिट पोल के प्रकाशन व प्रसारण पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये हैं।

16वीं लोकसभा चुनाव के दौरान जब नरेन्द्र मोदी मतदान केन्द्र में मतदान करके बाहर आये तो उन्होंने कैमरों के सामने कमल का फूल दिखाया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट माँगा। कुछ चैनलों ने इसे दिखाया भी। आयोग ने इसे मोदी तथा चैनलों द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया और गुजरात पुलिस को भी मोदी तथा जिन चैनलों ने मोदी का ये भाषण प्रसारित किया था उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिये। इन चैनलों ने आयोग के उन दिशा–निर्देशों का उल्लंघन किया था जो निर्देश चुनाव आयोग ने 17 फरवरी 2009 को मीडिया के लिए दिये थे।

प्रसारण के लिए बनायी गयी इस नई संहिता के अनुसार मतदान के पहले अड़तालिस घण्टे के अन्दर निजी टेलीविजन चैनल, दूरदर्शन तथा केबल के माध्यम से चुनाव का प्रचार करना अपराध होगा जिसके लिए दण्ड का प्रावधान होगा। इसका उल्लंघन करने वाले को दो वर्ष की जेल अथवा जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है।यह सजा जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 126 के अनुसार दी जायेगी।

चुनाव आयोग की बढ़ती प्रभावशीलता एक ताजा उदाहरण पश्चिमी बंगाल में भी देखने को मिला जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का टकराव चुनाव आयोग के साथ हो गया। चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल के कुछ अधिकारियों के तबादले करने के निर्देश दिये लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन निर्देशों को मानने से इंकार करते हुए चुनाव आयोग को सीधी चुनौती दे डाली। इस पर चुनाव आयोग आग बबूला हो गया और उसने पूरे पश्चिमी बंगाल में चुनाव को रद्द करने की धमकी दे डाली। चुनाव आयोग की इस धमकी से ममता बनर्जी बैकफुट पर आ गयी और उसे आयोग की बात माननी पड़ी। यह उदाहरण यह दिखाता है कि यदि आयोग सख्ती करे तो वह सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर भी कर सकता है।

चुनाव आयोग के ऐसा माहौल बना देने से जनता ने राहत महसूस की क्योंकि जनता चुनाव के शोर–शराबे से बहुत परेशान हो गयी थी और चुनाव को लेकर जनता के बीच उत्साह ठंडा पड़ गया था। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जनता इससे ऊब गयी थी। परन्तु जैसे–जैसे चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया की कमियों को दूर किया और जनता को मतदान का एक अच्छा माहौल प्रदान किया तब से चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। पिछले आम चुनाव में जहाँ मतदान का प्रतिशत 66.4 प्रतिशत था इस बार के अर्थात् 17वीं लोकसभा के चुनाव (2019) में मतदान का प्रतिशत 67.11 प्रतिशत हो गया।

चुनाव आयोग की निरन्तर बढ़ती प्रभावशीलता के कारण ही चुनाव में मतदान का प्रतिशत निरन्तर बढ़ता ही रहा है। यदि हम पिछले सभी आम चुनाव का अध्ययन करें तो हमें यह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है।

अब तक हुए आम चुनाव में मतदान का प्रतिशत

आम चुनाव	वर्ष	कुल सीटो की संख्या	मतदान का प्रतिशत
प्रथम	1952	489	61.16
द्वितीय	1957	494	63.73
तृतीय	1962	494	55.43
चतुर्थ	1967	520	61.33
पंचम	1971	518	55.27
छठें	1977	542	60.49
सातवें	1980	542	56.92
आठवें	1984–85	542	64.01
नौवें	1989	543	61.95
दसवें	1991–92	543	55.88
ग्यारहवें	1996	543	57.94
बारहवें	1998	543	61.97
तेरहवें	1999	543	59.99
चौदहवें	2004	543	58.07
पन्द्रहवें	2009	543	59.70
सोलहवें	2014	543	66.40
सतरहवें	2019	543	67.11

स्रोत– प्रतियोगिता दर्पण, समसामयिकी वार्षिकी, 2019

अंत में यह कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग ने पूरी जिम्मेदारी के साथ चुनावों को निष्पक्ष तथा स्वतंत्र बनाया है और चुनाव प्रक्रिया के दौरान माहौल को भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त, हिंसा रहित बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परन्तु फिर भी चुनाव आयोग को कुछ अन्य प्रयास भी करने चाहिये जिससे इसकी भूमिका और अधिक सक्रिय व सार्थक बन सके जैसे–जैसे चुनाव होते हैं तो चुनाव में समाज के लगभग सभी वर्गों के लोग टिकट पाने की

कोशिश करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे लोग भी टिकट पाने में सफल हो जाते हैं जिनकी पृष्ठभूमि अच्छी नहीं होती है या हम यह भी कह सकते हैं कि उनकी छवि अपराधी वाली होती है, भले ही उन्हें किसी न्यायालय से दण्ड न मिला हो। इस प्रकार की छवि वाले लोग देश तथा समाज की सेवा कभी नहीं कर सकते हैं बल्कि ऐसे लोग देश में भ्रष्टाचार तथा अराजकता ही फैलाते हैं और अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। अतः चुनाव आयोग को ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि का पता लगाकर उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। स्वस्थ प्रजातान्त्रिक मूल्यों और स्वस्थ राजनीतिक परम्पराओं के निर्वाह हेतु ऐसी प्रवृत्तियों को रोकना अति आवश्यक है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचीः–

1. पायली एम0वी0, भारतीय संविधान, रणजीत प्रिण्टर्स एण्ड पब्लिशर्स, नई दिल्ली–1964, पृष्ठ–378

पायली एम0वी0, भारतीय संविधान, रणजीत प्रिण्टर्स एण्ड पब्लिशर्स, नई दिल्ली–1964, पृष्ठ–378

2. बसु दुर्गादास, भारत का संविधान– एक परिचय, लैक्सीस नैक्सीस प्रकाशन, नई दिल्ली–2004, पृष्ठ–390
3. जनसत्ता, नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1994, पृष्ठ–3
4. जनसत्ता, नई दिल्ली, 26 जनवरी, 1998, पृष्ठ–6
5. प्रतियोगिता दर्पण, समसामयिक वार्षिकी वोल्यूम प्रथम 2012, पृष्ठ–60
6. प्रतियोगिता दर्पण, समसामयिक वार्षिकी वोल्यूम द्वितीय 2012, पृष्ठ–60
7. जनसत्ता, नई दिल्ली, 26 जनवरी, 1998, पृष्ठ–7
8. प्रतियोगिता दर्पण, समसामयिक वार्षिकी वोल्यूम I, 2012, पृष्ठ–60
9. अमर उजाला, देहरादून, 1 मई, 2014, पृष्ठ–1
10. नवभारत टाईम्स, नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1998, पृष्ठ–3
11. नवभारत टाईम्स, नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1998, पृष्ठ–3
12. प्रतियोगिता दर्पण, समसामयिक वार्षिकी, वोल्यूम II, 2012, पृष्ठ–60
13. आज, वाराणसी, 14 जनवरी, 1998, पृष्ठ–3